मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 419/20/ मा० अनु0/कालोनी/20 दिनांक : 18/5/2020

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मैसर्स आरबिट इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री प्रदीप कुमार (डायरेक्टर), निवासी–ए–96 सरस्वती लोक, दिल्ली रोड, मेरठ के प्रार्थना पत्र दिनांकः 06.01.2020 के माध्यम से ग्राम–रामपुर पावटी, मेरठ के खसरा संख्याः 252पार्ट की कुल भूमि क्षेत्रफल 39907.00 वर्ग मी0. पर स्थित एपैक्स सिटी कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्याः 19/11 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांकः 26.02.2020 के आधार पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पूर्णता पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांकः 21.03.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. जब तक कालोनी के विकास कार्यो को नगर निगम/आर0डब्लू0ए0 को हस्तान्तरित नही किया जाता, तब तक विकासकर्ता को विकास कार्यो का रख–रखाव करना होगा।
2. पार्को तथा खुले स्थानों को विक्रय नही किया जायेगा।
3. नाली तथा सीवर की रेगूलर क्लीनिंग की जायेगी।
4. कूडे का निस्तारण एम0एस0डब्लू0 रूल्स, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
5. फायर हाइड्रेन्ट क्रियाशील अवस्था में रखने होगे।
6. विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी अनापत्तियों में उल्लेख्ति शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।
7. यदि प्राधिकरण की कोई देयता है तो मांगे जाने पर जमा की जानी होगी।

<u>संलग्नकः</u> पूर्णता मानचित्र की प्रति।

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

13/05/20

Recd copy
13/5/20